न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2024-54RAAJodhpur2024-17RTA225 Prabhuram ors Vs Malaram etc

01. प्रभुराम पुत्र उगमाराम
02. बदीराम पुत्र उगमाराम
03. बलुराम पुत्र उगमाराम
04. सुखंराम पुत्र दलपतराम
05. सांगाराम पुत्र दलपतराम
06. किलाराम पुत्र ताजूराम
07. मगराज पुत्र बंशीलाल

सभी जातियान् नाई, निवासीगण- ग्राम सावंता, तहसील बापिणी, जिला फलोदी।

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

1. मालाराम पुत्र उम्मेदाराम जाति नाई, निवासी- ग्राम सावंता, तहसील बापीणी, जिला फलोदी।
2. ओमप्रकाश पुत्र शंकरराम
3. कमला देवी पत्नी दलपतराम
4. जगदीश पुत्र शंकरराम
5. दिनेश पुत्र कालूराम
6. पतासी पत्नी बंशीलाल
7. बबलूदेवी पत्नी कालूराम
8. भोजा पुत्र उगमाराम
9. भोमाराम पुत्र शंकरराम
10. मूलाराम पुत्र शंकरराम
11. मांगीलाल पुत्र ताजूराम
12. रिछपाल पुत्र कालूराम

सभी जातियान् नाई, निवासीगण- ग्राम सावंता, तहसील बापीणी, जिला फलोदी।

13. सरकार जरिये तहसीलदार बापीणी, जिला फलोदी।

रेस्पो. ...

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश दिनांक 10 जनवरी 2024 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बापीणी राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 23/2022 मालाराम बनाम मगराज इत्यादि

उपस्थित-
श्री नाहरसिंह सोलंकी, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स
श्री रोशनलाल, अधिवक्ता-रेस्पो. सं. 1
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 13

नि र्ण य

दिनांक : 11 नवंबर 2024

अपीलाण्ट्स ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बापीणी द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 23/2022 मालाराम बनाम मगराज इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 10 जनवरी 2024 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 05 फरवरी 2024 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर अपने खातेदारी खेत खसरा नं. 63/2 रकबा 0.9551 हैक्टेयर ग्राम सावंता में आवागमन हेतु अपीलांट्स एवं अन्य रेस्पो. की खातेदारी भूमि खसरा नं. 65 रकबा 8.7898 हैक्टेयर में सें 14 फीट चौड़ा रास्ता चाहा तथा अपीलाधीन रास्ते के अलावा अन्य कोई निकटतम एवं लघुतम रास्ता नहीं होना बताया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा तहसीलदार से मौका रिपोर्ट तलब की गई। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 10 जनवरी 2024 के जरिये

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

प्रार्थीगण/रेस्पो संख्या एक का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट्स ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स पर सम्मनों की विधिवत तामील करवाये बिना तथा उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही कर दी तथा अपीलांटगण को सुनवाई का मौका नहीं दिया तथा न ही जवाब व साक्ष्य पेश करने का मौका दिया अपीलाधीन आदेश पूर्णतया प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत पारित किया है। रेस्पोडेंट संख्या एक द्वारा केवल खसरा नं. 65 में से रास्ते की मांग की गई, किंतु विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश के जरिये खसरा नं. 64, 63, 63/1 एवं 63/2 में से भी रास्ते का आदेश पारित कर दिया। रेस्पोडेंट संख्या एक के आवागमन हेतु मौके पर अपीलाधीन रास्ते से भी लघुतम एवं निकटतम रास्ता मार्क ए से बी मौके पर मौजूद है, जिसकी ताईद मौका रिपोर्ट दिनांक 22.06.2023 से होती है। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त तथ्य पर गौर किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो अपास्त योग्य है। अपीलांट्स द्वारा अपीलाधीन रास्ता दिये जाने में कोई सहमति नहीं दी गई, फिर भी विचारण न्यायालय द्वारा तलब मौका फर्द में कांट-छांट करते हुए पक्षकारान् की सहमति दशाई गई तथा उसी सहमति के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। यह भी उल्लेखनीय है कि विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 47 व धारा 152 सीपीसी पर विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट्स को सुने बिना पूर्व पारित आदेश दिनांक 10.01.2024 में संशोधन कर दिया। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश अपास्त योग्य है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट्स स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य आदेश दिनांक 10 जनवरी 2024 को निरस्त किये जाने आदेश फरमावे।

जबाब में अधिवक्ता रेस्पो. ने अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया रेस्पोडेंट संख्या एक के आवागमन हेतु अपीलाधीन रास्ते के अलावा अन्य कोई निकटतम एवं लघुतम रास्ता मौके पर उपलब्ध नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभय पक्ष की सहमति के आधार पर अपीलाधीन रास्ते का आदेश पारित किया है। वक्त मौका फर्द तैयारी अपीलांट्स स्वयं भी मौके पर मौजूद थे तथा कुछ अपीलांट्स के हस्ताक्षर भी मौका फर्द पर है। ऐसी स्थिति में सहमति के आदेश के विरुद्ध अपील पोषणीय नहीं है। यह उल्लेखनीय है कि रेस्पोडेंट संख्या एक द्वारा खसरा नं. 65 में सें मार्क ए से बी रास्ता चाहा था, किंतु उभय पक्ष द्वारा सहमति दिये जाने तथा सभी खातेदारान् की काश्त हेतु रास्ते की पंहुच सुलभ हो सके, इस आधार पर अपीलाधीन रास्ता सहमति के आधार पर पारित किया गया है। जहां तक विचारण न्यायालय द्वारा पूर्व आदेश में संशोधन का प्रश्न है, विचारण न्यायालय द्वारा पूर्व आदेश में टंकणीय त्रुटि को सुधारा गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरुप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द दिनांक 22.06.2023 के अवलोकन मुताबिक रेस्पोडेंट मालाराम पुत्र उम्मेदाराम के खेत खसरा नं. 63/2 में आवागमन हेतु खसरा नं. 65, 64, 63, 63/1 एवं 63/3 के खातेदारान्/सहखातेदारान् द्वारा आपसी सहमति से मार्क ए.बी.सी.डी.ई.एफ.जी.एच.आई.जे. रास्ता दिया जाना

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

पाया जाता है। उक्त सहमति के रास्ते पर अपीलांट भोमाराम एवं बलूराम के अलावा अन्य सहखातेदारान् की सहमति दर्शायी गई हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त सहमति से प्रदत रास्ते से रेस्पोडेंट संख्या एक के खातेदारी खसरा नं. 63/2 के अलावा भी खसरा नं. 65, 63, 63/1, 63/3 के खातेदारान् का भी गैर मुमकिन रास्ते से जुड़ाव हो गया है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं पायी जाती है।

जहां तक अपीलांट्स का उज्र है कि रेस्पोडेंट संख्या एक द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में खसरा नं. 65 में सें रास्ता मार्क ए से बी चाहा गया है। उक्त रास्ता खसरा नं. 65 के बीच में से बताया गया है। उक्त रास्ता दिये जाने से खसरा नं. 65 दो असमान भागों में विभाजित हो जाता है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251-ए की मंशा के विपरीत है। ऐसी अपीलांट्स द्वारा बताया गया लघुतम रास्ते का विकल्प मानने योग्य नहीं है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभय पक्ष की सहमति के आधार पर निकटतम एवं लघुतम रास्ता प्रदान किये जाने से अदालत हाजा की राय में अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं पायी जाती है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट अपील अपीलांट्स खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बापीणी द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 23/2022 मालाराम बनाम मगराज इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 10 जनवरी 2024 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर